

संख्या 311 /XVII-C-1/2024-09(17)/2004-TC-2

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- (i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- (iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (iv) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- (v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग

देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2024

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या-735/ XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय का पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	BASIC WAGES	9187	10571	11737	13057	39171
2	GRATUTY 4.81% OF SER NO. 1	442	508	565	628	0
3	HOUSE ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
4	CLOTHING ALLOWANCE 10%OF SER NO. 01	919	1057	1174	1306	0
5	BONUS 8.33 % OF RS 7000	583	583	583	583	0
6	TOTAL (SER NO. 1 TO 5)	12050	13776	15233	16880	39171
7	EPF 13% OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
8	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE	392	448	495	549	0
9	TOTAL (SER NO. 6 +7+8)	13636	15598	17254	19126	39171

STATUTORY DEDUCTIONS						
10	EPF 13 %OF SER NO. 1 (EMPLOYER SHARE)	1194	1374	1526	1697	0
11	ESIC 3.25% OF SER NO. 6 (EMPLOYER SHARE), WHERE APPLICABLE)	392	448	495	549	0
12	EPF 12% OF SER NO. 1 (EMPLOYEE,S SHARE)	1102	1269	1408	1567	0
13	ESIC 0.75% OF SER No.6 (EMPLOYEE SHARE) WHERE APPLICABLE	90	103	114	127	0
14	TOTAL DEDUCTIONS (SER NO 10+11+12+13)	2778	3194	3543	3940	0
15	NET IN HAND TO EMPLOYEE (SER NO 9-14)	10858	12404	13711	15186	39171
16	LEAVE RELIEF 28.98% OF SER NO. 9	0	0	0	0	0
17	SERVICE CHARGE 2.5% OF SER NO. 9	341	390	431	478	979
18	TOTAL SER NO. (9 + 17)	13977	15988	17685	19604	40150
19	GST 18% OF SER NO. 18	2516	2878	3183	3529	7227
20	TOTAL PAYABLE BY PRINCIPAL EMPLOYER S.N. (18+19)	16493	18866	20868	23133	47377

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नहीं होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या-685/XVII-5/16-09 (17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या-424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या-640/ XVII-5/ 2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश संख्या-493/XVII-C-1/ 2021-09(17)/ 2004(TC-2), दिनांक 12 मई, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को देय अवकाश के संबंध में शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09 (17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 व शासनादेश संख्या-1187/XVII-5/17-09(30)/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-735/XVII-5/2020-09(17)/2004TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 व शासनादेश संख्या-190(1)/XXVII(7)/34(1)/2009, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-735/XVII-5/2020-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 21 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-I/193415/2024, दिनांक 23 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar
Chaudhari

(दिनांक: 26-02-2024 13:47:31)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 311 (1)/XVII-5/2024-09(17)2004-TC-2 : तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ले० एवं ह०), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

Signed by Nirmal Kumar

Date: 26-02-2024 13:49:36

(निर्मल कुमार)

अनु सचिव।